

## कार्यालय नगरपालिका परिषद, बहराइच।

पत्रांक-६७२/१५वां वि०आ० (टाइड ग्रां) / निर्माण कार्य / ई-टेंडर / २०२४

पुनः ई-निविदा सूचना

दिनांक ८ अक्टूबर, २०२४

15वां वित्त आयोग टाइड ग्रांट के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में नगरपालिका परिषद, बहराइच के स्वीकृत कार्यों में से निम्नलिखित एक निर्माण कार्य हेतु जी०एस०टी० रहित आनलाइन निविदायें ई-टेंडर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक ०९.१०.२०२४ को अपराह्न २:३० बजे से दिनांक ०५.१०.२०२४ को अपराह्न ३:०० बजे तक निर्माण कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में नगरपालिका परिषद, बहराइच के साथ-साथ अन्य विभागों से पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्म से प्रतिशत दर के आधार पर निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन आमन्त्रित की जाती है। उक्त अवधि में ही ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदायें ई-टेंडर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर डाउनलोड करके अपलोड की जा सकती है। कार्य की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एवं निविदा मूल्य अलग-अलग आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट के माध्यम से नगरपालिका परिषद बहराइच के इण्डियन बैंक शाखा डिगिहा स्थित खाता संख्या- 50383894033 IFS code IDIB000C601 में आनलाइन अथवा एफ०डी०आर०/टी०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० जो अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक हो जमा की जायेगी। निविदा मूल्य आनलाइन ही जमा करना होगा। आनलाइन अपलोड की गयी अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक हो जमा की जायेगी। निविदा मूल्य आनलाइन अथवा एफ०डी०आर०/टी०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० जो इत्यादि को ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। जिसकी तकनीकी विड दिनांक ०५.१०.२०२४ को अपराह्न ४:०० बजे आनलाइन खोली जायेगी। अपलोड की गयी ई-निविदाओं में से किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण-बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, बहराइच को होगा। तकनीकी विड में अहं पाये गये निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें आनलाइन ई-टेंडर पोर्टल पर खोलने हेतु अपलोड की जायेंगी। कार्य का विवरण, अनुमानित लागत, 10 प्रतिशत धरोहर राशि/जमानत धनराशि, निविदा मूल्य सहित निम्नवत् है-

क०स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी०एस०टी० रहित)	वी०क्य० की धनराशि १८ प्रतिशत	१० % धरोहर / जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	जी०एस०टी० १८ %	ई-टेंडरिंग शुल्क	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	मो० बकशीपुरा में सिटी कान्वेंट स्कूल से दिलीप के मकान तक गहरी नाली का निर्माण कार्य।	२४७०३१३.००	२४७०३१३.४२	२४७०३१.००	२४५०.००	४४१.००	२५०.००	३१४१.००	०३ माह


### नियम व शर्त-

- ई-निविदादाता द्वारा उक्त कार्य की 10 प्रतिशत धरोहर राशि/जमानत धनराशि एवं निविदा मूल्य की धनराशि को अलग-अलग नगरपालिका परिषद बहराइच के इण्डियन बैंक शाखा डिगिहा स्थित खाता संख्या- 50383894033 IFS code IDIB000C601 के माध्यम से जमा करके जमा रसीद /यूटी०आर० नम्बर ई-निविदा पोर्टल पर निविदा के साथ अपलोड करना होगा अथवा जमानत धनराशि की एफ०डी०आर०/टी०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० जो अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक हो जमा करना होगा। निविदा मूल्य आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट के माध्यम से ही जमा करना होगा।
- ई-निविदा दाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैंसियत प्रमाण पत्र व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (जो निर्धारित समयावधि के अन्दर का हो) एवं निर्माण कार्य हेतु किसी भी विभाग में फर्म के पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र, जी०एस०टी०, पैन कार्ड, श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र तथा रु० १००.०० के स्टाम्प ऐपर पर निर्धारित शपथ पत्र ई-टेंडर पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा मूल शपथ पत्र एवं आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट की मूल जमा रसीद कार्यालय में जमा करना होगा।
- समस्त निविदा ई-टेंडरिंग के माध्यम से ही स्वीकार की जायेगी, अन्य किसी माध्यम से कोई भी निविदा स्वीकार नहीं होगी।
- निविदादाता द्वारा 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एवं निविदा मूल्य की धनराशि को अपने स्वयं के बैंक खाते से ही पालिका के उक्त वर्णित बैंक खाते में आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। अन्य किसी के बैंक खाते से जमा की गयी धनराशि मान्य नहीं होगी।
- ठेकेदार/फर्म का जी०एस०टी० में एवं श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता (नगरपालिका परिषद बहराइच के पंजीकृत ठेकेदार /फर्म को छोड़कर) को अनुबन्ध से पूर्व नगरपालिका परिषद, बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण करना होगा तदोपरान्त नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- स्थल पर कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की जांच ठेकेदार को अपने खर्च पर स्वयं करानी होगी।
- निविदा की धनराशि में १८ प्रतिशत जी०एस०टी० समिलित नहीं है, जिसका भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- उक्त कार्य हेतु कम से कम तीन-तीन निविदायें समस्त औपचारिकताओं सहित आन लाइन प्राप्त होने पर ही न्यूनतम निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

४



- 10— संशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 11— निविदा की विस्तृत जानकारी नगरपालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
- 12— किसी भी पंजीकृत ठेकेदार का ठेका स्वीकृत होने / कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात यदि कभी भी संज्ञान में आता है कि सम्बंधित किसी भी अभिलेख (प्रमाण पत्रों) / नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनहूँ था अथवा सकिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो ऐसी दशा में प्रदान किया गया अनुबन्ध/ठेका निररत कर दिया जायेगा।
- 13— नगरपालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों को छोड़कर निविदा में भाग लेने वाले अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों को निर्माण कार्यों के सम्बंध में पर्याप्त अनुभव प्रमाण पत्र भी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 14— स्थलीय सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी पायी जाती है तो सम्बंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा तत्काल कार्य को मानक के अनुरूप निर्देशानुसार तत्काल ठीक कराना होगा अन्यथा कराये गये कार्य का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 15— प्राप्त किसी भी ई-निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। इस सम्बंध में किसी भी ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नहीं होगा। निविदा मूल्य नान रिफण्डेबल है।
- 16— उक्त निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत आगणन के अनुसार ही स्थल पर मानक के अनुरूप गुणवत्ता परक कार्य निविदादाता को कराना होगा।
- 17— इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूट-फूट होती है तो निर्माण कार्यों के पूर्णतः की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
- 18— स्वीकृत कार्य को अनुमोदित आगणन की धनराशि पर ही पूर्ण कराया जायेगा।
- 19— कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संरक्षा एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्बाधित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- 20— स्थल पर कार्य के प्रगति पर होने अथवा पूर्ण होने के उपरान्त शासन द्वारा अनुदान की उपलब्धता के आधार पर एवं उपरोक्ता अवधि बढ़ाये जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 21— तकनीकी बिड में अर्ह पायी गयी निविदाओं की ही वित्तीय निविदाये आनलाइन ई-टेंडर पोर्टल पर खोली जायेंगी।
- 22— प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग-5 उम्प्र० शासन लखनऊ के पत्र सं- 24वी०आई०पी०(1)/नौ-५-२०१७-१२०बजट/2013 दिनांक 24.08.2017 के प्रस्तर -2 में दिये गये आदेश के अनुपालन में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 05 वर्ष का अनुरक्षण/रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बंधित ठेकेदार/फर्म की होगी। शासनादेश सं- 11593/नौ-५-२०२१-१४२ सा/2021 दिनांक 07 जनवरी, 2022 में निहित निर्देशों के अनुसार परफरमेन्स गारन्टी के रूप में 05 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुद्धित रखरखाव होने की दशा में परफरमेन्स गारन्टी के रूप में रोकी गयी धनराशि भुगतान की जायेगी।
- 23— उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 24— यदि उक्त तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्य दिवस में की जायेगी।


  
 (प्रमिता सिंह )  
 अधिकारी अधिकारी  
 नगरपालिका परिषद  
 बहराइच।

पूर्वांक दिनांक— उपरोक्त

प्रतिलिपि—

- 1— जिलाधिकारी महोदय बहराइच को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
 2— अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) / प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच को सूचनार्थ प्रेषित।  
 3— नगरपालिका परिषद, बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

  
 १०/१०/२०२१

  
 (सुधा देवी )  
 अध्यक्ष  
 नगरपालिका परिषद  
 बहराइच।

  
 अधिकारी अधिकारी  
 नगरपालिका परिषद  
 बहराइच।